

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

Email Id: henv.cg@nic.in

क्रमांक एफ 7-10/2016/32
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/09/2022

1. सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।


विषय : छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) नियम, 2022 के क्रियान्वयन बाबत।
=0=

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 को और संशोधित करते हुए संशोधित अधिनियम, 2022 लागू किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 435, दिनांक 14.07.2022 को मुद्रित हुई है। उक्त तिथि से अधिनियम सम्पूर्ण प्रदेश में प्रभावशील हो गया है। निवेश क्षेत्र अंतर्गत आवेदन के निराकरण की जिम्मेदारी, निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

- 1.2 निवेश क्षेत्र सीमा के अंतर्गत ऐसे ग्राम/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जो नगरीय निकाय सीमा के बाहर आते हैं, वहां समस्त आवेदनों का संकलन, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जायेगा। भौतिक सत्यापन/परीक्षण इत्यादि की कार्यवाही पूर्ण कर, जिलानियमितिकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी, संबंधित सदस्य सचिव की होगी।
- 1.2 नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत, जो निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा आवेदनों का संकलन/भौतिक सत्यापन एवं परीक्षण किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्ण कर, जिलानियमितिकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार संबंधित जिले के कलेक्टर/नगरीय निकाय के अधिकारी/नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी समन्वय स्थापित कर, शासन के महत्वपूर्ण अभियान की नियमित समीक्षा करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(सुब्रत साहू)

अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग



पृ. क्रमांक एफ 7-10/2016/32
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/09/2022

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
3. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन,
4. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन,
5. आवास एवं पर्यावरण विभाग माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक,
6. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक,
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय,
8. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

mal
2/9/22

अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

